भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †4215
दिनांक 19.08.2025 को उत्तरार्थ

नासिक में ग्राम पंचायत

†4215. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि नासिक में कई ग्राम पंचायतें, विशेष रूप से दूरदराज के आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में, खराब डिजिटल कनेक्टिविटी और सीमित प्रशिक्षण के कारण राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए), ई-ग्राम स्वराज, ऑडिट ऑनलाइन और स्वामित्व योजना को लागू करने में चुनौतियों का सामना कर रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नासिक में स्वामित्व के तहत संपत्ति कार्ड वितरण और ऑडिट ऑनलाइन के माध्यम से पंचायत खातों की नियमित संपरीक्षा की स्थिति का कोई आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीएसए और 15वें वित्त आयोग के अनुदान के तहत नासिक ग्राम पंचायतों को आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का नासिक जिले में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण विकास विभाग के साथ कोई विशेष कदम या अभिसरण सहायता का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस.पी.सिंह बघेल)

(क) महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार**,** नासिक की सभी **1,387** ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। ई-ग्राम स्वराज**,** ऑनलाइन ऑडिट**,** स्वामित्व और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजनाओं के क्रियान्वयन में डिजिटल कनेक्टिविटी संबंधी किसी भी समस्या के कारण कोई समस्या नहीं आ रही है। इसके अलावा**,** पंचायती राज मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार**,**

वित्तीय वर्ष **2024-25** में, **1,386** ग्राम पंचायतों (लगभग **100%)** ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) अपलोड कीं, और ग्राम पंचायतों द्वारा ई-ग्राम स्वराज-सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (ईजीएस-पीएफएमएस) इंटरफेस के माध्यम से विक्रेताओं को भुगतान के रूप में **₹256** करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई।

(ख) स्वामित्व योजना के अंतर्गत, कुल **1,433** गाँवों को शामिल किया गया है और **912** गाँवों के लिए **1,28,281** संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। वर्ष **2023-24** में नासिक जिले की **1,360** ग्राम पंचायतों के खातों का ऑडिट किया गया है।

(ग) आरजीएसए योजना और केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत राज्यों को धनराशि आवंटित/जारी की जाती है और संबंधित राज्य, बदले में, पंचायतों को आवंटित/जारी करता है। महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, आरजीएसए योजना और **15**वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत नासिक जिले में ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि और उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि इस प्रकार है:

वर्ष	आरजीएसए		**15**वां वित्त आयोग अनुदान	
	आवंटित धनराशि	*उपयोग की गई धनराशि*	*आवंटित धनराशि*	*उपयोग की गई धनराशि*
2022-23	57,00,000	57,00,000	2,04,35,39,000	1,80,65,01,000
2023-24	0	0	2,04,74,53,000	1,62,06,12,937
2024-25	6,87,50,000	6,87,50,000	1,77,70,92,194	1,06,06,12,937

(घ) पंचायत राज्य का विषय है और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राज्य सरकारों के प्रयासों को निरंतर आधार पर पूरक और संपूरित करता है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सुदृढ़ीकरण और कुशल कामकाज के लिए योजनाओं के तहत निधि सहायता भी शामिल है।

पंचायती राज मंत्रालय वर्तमान में निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका प्राथमिक उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पीआरआई के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से पीआरआई को मजबूत बनाना और ग्राम पंचायत भवन तथा कंप्यूटर एवं अन्य सहायक उपकरण जैसी अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना है;

(ii) पंचायतों को प्रोत्साहन (आईओपी), आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक, जो पीआरआई के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करता है, जिसके तहत सेवा वितरण और लोक कल्याण में सुधार के लिए उनके अच्छे कार्यों को मान्यता देते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं; और

(iii) ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ईपंचायत), जो आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक है, जिसके तहत पंचायतों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने और उनके समग्र परिवर्तन में योगदान देने के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है।

ये योजनाएं महाराष्ट्र और उसके नासिक जिले सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) या पीआरआई के लिए कार्यान्वित की जाती हैं।

इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न विकास कार्यों के लिए केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) का अनुदान प्राप्त होता है जो उन्हें विभिन्न तरीकों से मजबूत बनाने में मदद करता है।

***